न्यायालय जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी:: श्री नमित मेहता, आई.ए.एस

पंचायत निगरानी :: 126/2017 ::
जीसीएमएस नम्बर :: 2017/00324

प्रार्थी :–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
1. सोहनसिंह पुत्र कुन्दनसिंह 2. केहरसिंह पुत्र रामसिंह राजपुत, निवासीगण भांगेसर तहसील पाली		1. प्रकाशसिंह पुत्र लालसिंह राजपुत भाटी, निवासी भांगेसर तह. पाली 2. ग्राम पंचायत, भांगेसर तह. पाली

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

उपस्थित :– प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र मेवाडा

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 26.04.2022

माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर के डी.बी. स्पेशल अपील संख्या 4025 आदेश दिनांक 05.10.2016 की पालना में प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र इस न्याायालय के प्रकरण संख्या 30/2006 आदेश दिनांक 23.03.2010 में पुनः सुनवाई कर निर्णय किये जाने हेतु पेश किया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिए नोटिस तलब किया गया। बहस अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई।

वक्त बहस अधिवक्ता प्रार्थी ने कथन किया कि ग्राम पंचायत भांगेसर का आदेश विधि व नियम विरूद्ध है। अप्रार्थी एक की ओर से ग्राम पंचायत में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में बाडा होना दर्ज है यह बाड़ा कितने वर्षो से है उसका कोई उल्लेख नहीं है प्रार्थना पत्र में जो क्षेत्रफल बताया है वह सचिव द्वारा बनाये गये नक्शे से मेल नहीं खाता है क्योंकि प्रार्थना पत्र में दर्ज क्षेत्रफल वर्गगज में है ओर 3 बाई 3 फीट = 9 वर्गफीट का 1 वर्गगज होता है। सचिव द्वारा बनाये गये नक्शा में पड़ौस दर्ज नहीं है एवं न ही आवटवर्ड नम्बर व ग्राम पंचायत की सील लगाई गई है। अतः जैर निगरानी पट्टा निरस्तनीय है। आपत्ति सूचना पत्र किस तारीख को किसके समक्ष चस्पा किया गया है अंकित नहीं है। विक्रय के लिए प्रस्तावित भूमी पर चस्पा न कर चौराहे पर चस्पा किया गया है जो नियम 148(2) का उल्लंघन है। आपत्ति सूचना पत्र में चस्पा रिपोर्ट पर एक ही व्यक्ति के हस्ताक्षर है जबकि दो स्थानीय गणमान्य व्यक्तियों की मौजूदगी में चस्पानगी की जानी चाहिए। आपत्ति सूचना में जिस व्यक्ति के हस्ताक्षर है उसके पिता का नाम, जाति, सकूनत दर्ज नहीं है। भूमि पर कब्जा की अवधि की जगह खाली छोड़ी हुई है। गवाहान व अप्रार्थी का भूमि पर मकान होना नहीं कहते है ओर न ही साबित है। अप्रार्थी सं. एक ने अपने आवेदन में वादस्थ भूमी अपनी पुश्तैनी, कब्जासुद होना व अपना मकान व बाडा होना अंकित किया है लेकिन आज भी अप्रार्थी एक का मौके पर कब्जा नहीं है एवं न ही कोई मकान/बाडा है। विक्रय के संबंध में आपत्ति सूचना पत्र पर आउटवर्ड नं. व पंचायत की कोई मोहर नहीं है तथा आपत्ति सूचना पत्र नियम 148 के अनुसार पब्लिकेशन नहीं की गई जबकि विधिनुसार नोटिस की प्रति बेची जानी वाली भूमी के प्रमुख स्थान पर चस्पा की जानी आज्ञापक है। इसके अतिरिक्त चस्पानगी दो स्थानीय गणमान्य व्यक्तियों का नाम अंकित है उनके पिता का नाम जाति सकूनत अंकित नहीं है। नियम 157 (ख) में नियमितिकरण तभी किया जा सकता है। जब मौके पर 50 साल पुराना या 50 साल की अवधि में पुराना मकान बना हुआ हो लेकिन प्रस्तुत मामले में कोई मकान आदि नहीं बना हुआ है। जैर निगरानी आदेश दिनांक 18.12.99 में पंचायत ने तय नहीं किया कि नियमितिकरण की कितनी राशि अप्रार्थी से वसूली की जावे। पंचायत मिसल व

जिला कलेक्टर, पाली

विक्रय विलेख में प्रकट नहीं है कि नियमितिकरण की राशि जमा करायी गयी हो। गवाह के बयान में भी उम्र दर्ज नहीं है। अप्रार्थी एक का वादस्थ भूमी पर गवाहान के बयानों से plausible claim of title सिद्ध नहीं है। अतः पंचायत की सम्पूर्ण कार्यवाही नियम विरूद्ध है। वादस्थ भूमि एवं उसके आसपास की भूमी पर प्रार्थीगण के दादा कल्याणसिंह के समय से बाड कर कब्जा चला आ रहा है इसलिए इस भूमी में प्रार्थीगण का हित हैं वास्तव में विक्रय विलेख सं. 1417 में वर्णित भूमि मौके पर स्थित नहीं है। अतः प्रार्थीगण की निगरानी स्वीकार की जाकर जैरनिगरानी पट्टा निरस्त कराने के आदेश फरमावे।

हमने अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ ग्राम पंचायत से प्राप्त रेकर्ड का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली में प्रार्थी ने ग्राम पचांयत द्वारा अप्रार्थी के पक्ष में जारी पट्टे को खारिज किये जाने के संबंध में उठाये गये बिन्दु प्रक्रियात्मक एवं नियम विरूद्ध पट्टा जारी करने की कमियों के संबंध में है, जैसे नक्शे में पड़ोस का अंकन नहीं होना, आउटवर्ड नम्बर अंकित नहीं होना, भूमि निरीक्षण प्रपत्र में कमियाँ आदि। चुंकि उक्त निगरानी प्रार्थी द्वारा प्रक्रियात्मक कमियाँ तथा ग्राम पंचायत द्वारा नियम विरूद्ध पट्टा जारी करने का उल्लेख करते हुए प्रस्तुत की गई है, ऐसे में हस्तगत निगरानी में न्यायहित को ध्यान में रखते हुए अप्रार्थी के पक्ष में जारी पट्टे की सत्यता/प्रमाणिकता के संबंध में पंचायत राज नियम 1996 के परिप्रेक्ष्य में विस्तृत जांच किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

उपर्युक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थी का पंचायत निगरानी प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 आंशिक स्वीकार कर विकास अधिकारी पंचायत समिति पाली को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता कि वे दो माह में जाँच करे कि यदि प्रकरण में नियमों–प्रावधानों का ग्राम पंचायत के स्तर से उल्लंघन होना पाया जावे या सम्पूर्ण कार्यवाही में गंभीर अनियमितता पायी जावे जिससे सम्पूर्ण पट्टा जारी करने की प्रकिया दूषित(Vitiate) हुई हो तो अविलम्ब प्रकरण बनाकर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करे। ग्राम पंचायत के स्तर पर रही साधारण लिपिकीय या प्रक्रियात्मक कमियों के कारण लगभग 22 वर्ष पूर्व जारी पट्टे को बिना विस्तृत जांच किए निरस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। इससे अप्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होने व अनावश्यक लिटिगेशन बढ़ने की संभावना रहती है। अतः उपरोक्तानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावे।

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

निर्णय आज दिनांक 26.04.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नमित मेहता)
जिला कलक्टर, पाली